

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 12, 2006/पौष 22, 1927

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 593

No. 6]

DELHI, THURSDAY, JANUARY 12, 2006/PAUSA 22, 1927

[N.C.T. D.No. 593

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

योजना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 जनवरी, 2006

सं. फा. 9 (17)/2004/सी सी/योजना/6758.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24-9-1968 की अधिसूचना सं. फा. 24/78/68- डी एच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल :—

- (i) इस सरकार के अन्तर्गत योजना, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में निदेशक (योजना, अर्थ एवं सांख्यिकी) के पद पर नियुक्ति के लिये भर्ती पद्धति तथा आवश्यक योग्यताओं के संबंध में संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं, तथा;
- (ii) इस सरकार की दिनांक 19-07-1994 की अधिसूचना सं. फा. 9(17)/87/2861-68 द्वारा अधिसूचित योजना विभाग में निदेशक (अर्थ एवं सांख्यिकी) के पद के भर्ती नियमों को निरस्त करते हैं।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
निदेशक (योजना, अर्थ एवं सांख्यिकी)	*1 (2005) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अलिपिकीय	14300-400-18300 रुपए	चयन	लागू नहीं होता

